बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना

(वेबसाईट https://bpssc.bihar.gov.in)

संदर्भ : विज्ञापन संख्या–05/2025

अभ्यर्थित्व रदद् किये जाने के संबंध में सूचना

आयोग के विज्ञापन सं0–05/2025 के अंतर्गत आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा में कथित कदाचार/अनियमितता से संबंधित प्राप्त परिवादों के जाँच के क्रम में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा अभ्यर्थी (1) रूपेश कुमार रौल नं0–5141060225 एवं अभ्यर्थी (2) नरेश कुमार रौल नं0–5241060022 के प्रारंभिक लिखित परीक्षा में कदाचार में संलिप्त पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है। भविष्य में अनुसंधान एवं जाँच के क्रम में किसी अन्य अभ्यर्थी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ह0/–

पुलिस अधीक्षक,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा–04–जाँच–01/2026–1534 दिनांक–**05.11.2026**

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना – 800001